

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
परिशिष्ट 'तैतालीस'

प्राप्ति ३५ ||  
[ 18/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 6677] भोपाल, दिनांक १५ मार्च 2008

क्रमांक-एफ-7- ७ /2008/32- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-  
एफ-5-3/2006/1-3, दिनांक 23.2.2008 के अनुकम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों  
के नियमितीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार छानबीन समिति का गठन किया  
जाता है:-

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1- | प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण<br>संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश/अधीक्षण यंत्री          | अध्यक्ष     |
| 2- | राजधानी परियोजना प्रशासन<br>उप संचालक(प्रशासन) संचालनालय,<br>नगर तथा ग्राम निवेश/कार्यपालन यंत्री | सदस्य       |
| 3- | राजधानी परियोजना प्रशासन.   | सदस्य सचिव, |

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक  
एफ-5-3/2006/1/3, दिनांक 16.5.07 एवं राग्रांख्यक ज्ञाप दिनांक 8.2.08 एवं 23.2.  
08 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के संबंध में  
समिति अपना अभिगत इस विभाग को उपलब्ध करायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम रो

तथा आदेशानुसार  
GB Padam Singh

(सी.बी.पड़वार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक १५ मार्च 2008

पृ.क. एफ-7- ७ /2008/32

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर  
परिपत्र क्र. एफ-5-3/2006/1-3, दिनांक 23.2.08 के संदर्भ में सूचनार्थ  
प्रेषित।
  2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग.
  3. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
  4. अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल।
  5. उप संचालक(प्रशासन) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
  6. कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। छानबीन समिति के सवाल साथिय  
कृपया तत्काल समिति की बैठक आयोजित करायें।

GB Padam Singh

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग